

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 623]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 15 दिसम्बर 2022—अग्रहायण 24, शक 1944

गृह (सी-अनुभाग) विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ-35-13-2020-दो-सी-एक्स

भोपाल, दिनांक 15 दिसम्बर 2022

## अधिसूचना

मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2021 (क्रमांक 5 सन् 2021) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम.— इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता नियम, 2022 है।

**2. परिभाषाएं.—** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2021;
- (ख) "घोषणा" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन धर्म संपरिवर्तन के संबंध में की गई घोषणा;
- (ग) "प्ररूप" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप;
- (घ) "सूचना" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (2) के अधीन धर्म संपरिवर्तन के संबंध में दी गई सूचना।

**3. वह कालावधि जिसके पूर्व घोषणा/सूचना प्रस्तुत की जाएगी.—**

- (1) कोई व्यक्ति जो धर्म-संपरिवर्तित करना चाहता है, उस जिला मजिस्ट्रेट को जहां धर्म संपरिवर्तन संस्कार निष्पादित होना है प्ररूप 'क' में ऐसे धर्म-संपरिवर्तन से साठ दिवस के पूर्व घोषणा प्रस्तुत करेगा।
- (2) कोई धर्माचार्य और/या कोई व्यक्ति जो धर्म-संपरिवर्तन का आयोजन करना चाहता है, उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट को जहां ऐसा धर्म-संपरिवर्तन संस्कार आयोजित किया जाना प्रस्तावित है, ऐसे आयोजन से साठ दिवस के पूर्व प्ररूप 'ख' में सूचना देगा।
- (3) जिला मजिस्ट्रेट को उपरोक्त घोषणा/सूचना, घोषणाकर्ता अथवा सूचनाकर्ता व्यक्ति द्वारा या तो व्यक्तिशः परिदत्त की जाएगी अथवा अभिस्वीकृति अपेक्षित रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रानिक माध्यम से भेजी जाएगी।

**4. घोषणा/सूचना की पावती.—** जिला मजिस्ट्रेट नियम 3 के उप-नियम (1) एवं (2) के अधीन घोषणा/सूचना प्राप्त होने पर यथास्थिति प्ररूप 'ग' एवं 'घ' में, ऐसी पूर्व घोषणा/सूचना की पावती देगा।

**5. राज्य सरकार को रिपोर्ट की प्रस्तुति.—** जिला मजिस्ट्रेट, पूर्ववर्ती मास के दौरान उसके द्वारा प्राप्त की गई घोषणा/सूचनाओं एवं जारी अभियोजन स्वीकृति आदि की प्ररूप 'ड' में एक रिपोर्ट प्रत्येक माह की 10 तारीख तक राज्य सरकार को भेजेगा।

**प्ररूप-क**  
**(नियम 3 (1) देखिए)**  
**घोषणा पत्र**

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,  
जिला .....

मध्यप्रदेश

महोदय,

मैं ..... पुत्र/पुत्री ..... निवासी.....  
..... धर्म ..... से धर्म .....

में अपनी स्वयं की स्वतंत्र इच्छा से बिना किसी बल, प्रपीड़न, असम्यक् असर या प्रलोभन के, संपरिवर्तन हेतु आवश्यक अनुष्ठान निष्पादित करने का/की इच्छुक हूँ, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2021 की धारा 10 की उप-धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित धर्म संपरिवर्तन की सूचना देता/देती हूँ।

1. व्यक्ति का नाम जिसका धर्म संपरिवर्तन होना है.....  
.....
2. (क) जिस व्यक्ति का धर्म संपरिवर्तन होना है उसके पिता का नाम .....  
.....  
(ख) जिस व्यक्ति का धर्म संपरिवर्तन होना है उसकी माता का नाम .....  
.....
3. धर्म संपरिवर्तित किए जाने वाले व्यक्ति का पता .....  
भवन संख्या ..... वार्ड संख्या .....  
मोहल्ला ..... गांव .....  
तहसील ..... जिला .....
4. आयु ..... (जन्मतिथि) .....
5. लिंग .....
6. यदि अवयस्क हो, तो संरक्षक, (यदि कोई हो) का नाम व पूरा पता.....  
.....

7. क्या वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का/की है, और यदि ऐसा है तो ऐसी जाति का विवरण .....
8. सम्पूर्ण विवरण के साथ उस स्थान का नाम जहां धर्मान्तरण अनुष्ठान किया जाना आशयित है या भवन संख्या ..... वार्ड संख्या .....  
मोहल्ला ..... ग्राम ..... जिला .....
9. धर्म संपरिवर्तन का दिनांक .....
10. धर्माचार्य पिता का नाम .....
- (1) अर्हता और अनुभव .....
- (2) पता .....

### सत्यापन

मैं ..... एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि ऊपर उल्लिखित सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर

तारीख .....

स्थान .....

## प्ररूप-ख

## (नियम 3 (2) देखिए)

## सूचना

एक धर्म से दूसरे धर्म में आशयित संपरिवर्तन के संबंध में धर्माचार्य द्वारा सूचना

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,

जिला .....

मध्यप्रदेश

महोदय,

में .....पुत्र/पुत्री .....निवासी.....

..... एतद्वारा मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2021

की धारा 10 की उप-धारा (2) द्वारा यथा अपेक्षित धर्म से धर्म ..... में

आशयित संपरिवर्तन के लिए सूचना प्रस्तुत करता/करती हूँ, जो निम्नानुसार हैं—

व्यक्तियों की कुल संख्या जिनका धर्म संपरिवर्तन होना है,—

वयस्क ..... अवयस्क .....

1. व्यक्ति का नाम जिसका धर्म संपरिवर्तन होना है.....

.....

2.(क) धर्म संपरिवर्तित किए जाने वाले/वाली के पिता का नाम .....

.....

(ख) धर्म संपरिवर्तन किए जाने वाले/वाली की माता का नाम.....

.....

3. धर्म संपरिवर्तित किए जाने वाले/वाली का पता .....

..... भवन संख्या .....वार्ड संख्या .....मोहल्ला

..... गांव ..... तहसील .....

..... जिला .....

4. आयु ..... (जन्मतिथि) .....

5. लिंग .....

6. क्या वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का/की है, और यदि ऐसा है तो ऐसी जाति का विवरण .....

7. सम्पूर्ण विवरण के साथ उस स्थान का नाम जहां धर्म धर्म संपरिवर्तन अनुष्ठान किया जाना आशयित हो अथवा संख्या.....वार्ड संख्या..... मोहल्ला.....ग्राम.....जिला .....
8. धर्म संपरिवर्तन की तिथि .....
9. धर्माचार्य का नाम ..... पिता का नाम .....
- (1) अर्हता और अनुभव .....
- (2) पता .....

### सत्यापन

मैं ..... एतद्वारा घोषणा करता/करती हूं कि ऊपर उल्लिखित सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर

तारीख .....

स्थान .....

**प्ररूप—ग**  
( नियम 4 देखिए )

मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2021 की धारा 10 (1) के अधीन दिनांक .....  
को श्री ..... आत्मज/आत्मजा .....  
निवासी ..... के धर्म ..... से  
धर्म ..... में संपरिवर्तन के संबंध में घोषणा प्राप्त हुई।  
तारीख .....

.....  
जिला  
मजिस्ट्रेट

**प्ररूप—घ**  
( नियम 4 देखिए )

मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2021 की धारा 10 (2) के अधीन दिनांक.....  
को धर्माचार्य श्री ..... आत्मज/आत्मजा .....  
निवासी ..... द्वारा श्री .....  
आत्मज/आत्मजा ..... निवासी .....  
के धर्म ..... से धर्म.....में संपरिवर्तन के  
संबंध में सूचना प्राप्त हुई।  
तारीख .....

.....  
जिला  
मजिस्ट्रेट

प्ररूप—ड  
(नियम 5 देखिए)

.....मास की रिपोर्ट

1. .... मास के दौरान धारा 10 (1) में प्राप्त घोषणाओं की संख्या .....
- .....
2. .... मास के दौरान धारा 10 (2) के अंतर्गत प्राप्त सूचनाओं की संख्या .....
- .....
3. अध्यादेश के अधीन संस्थित अभियोजनों की यदि, कोई हो, संख्या .....
4. अध्यादेश के अधीन जारी अभियोजन स्वीकृतियों की संख्या .....
5. अध्यादेश के अधीन अकृत/शून्य घोषित विवाहों की संख्या .....
6. अध्यादेश की धारा 11 के उल्लंघनकर्ता संस्थाओं/संगठन की संख्या .....
7. अध्यादेश के अधीन दोष मुक्तियों तथा दोष-सिद्धियों की मास के दौरान संख्या .....
- .....

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश राजोरा, अपर मुख्य सचिव.

No. F-35-13-2020-II-C-X

Bhopal, the 15<sup>th</sup> Decenber 2022

## NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 16 of the Madhya Pradesh Freedom of Religion Act, 2021 (No. 5 of 2021), the State Government, hereby, makes the following rules, namely :-

### RULES

1. **Short title.-** These rules may be called the Madhya Pradesh Freedom of Religion Rules, 2022.
2. **Definitions.-** In these rules, unless the context otherwise requires,-
  - (a) "Act" means the Madhya Pradesh Freedom of Religion Act, 2021 (No. 5 of 2021);
  - (b) "Declaration" means, the declaration made in respect of the religious conversion under sub-section (1) of section 10 of the Act;
  - (c) "Form" means, forms appended to these rules;
  - (d) "Information" means the information in respect of the religious conversion given under sub-section (2) of section 10 of the Act.
3. **The period before which declaration/intimation to be made.-**
  - (1) Any person intending to convert his religion shall submit a declaration sixty days prior to such conversion in Form-A before such District Magistrate where the proceedings of conversion are to be executed.

- (2) Any religious priest and/or any person who intends to organize the rituals of conversion shall give intimation in Form B to the District Magistrate of the concerned district sixty days prior to organizing of such rituals.
- (3) The person who makes above declaration or gives information shall submit it to the District Magistrate personally or send it by registered post or through electronic medium.
- 4. Receipt of declaration/intimation.-** The District Magistrate on receipt of declaration/intimation under sub-rule (1) and (2) of rule 3, shall give a receipt of such prior declaration/intimation in Form-C or Form-D as the case may be.
- 5. Report to be submitted before the State Government.-** The District Magistrate shall send a report of the declaration/intimation received and the prosecution sanctioned issued by him during the preceding month in Form-E before 10<sup>th</sup> of every month to the State Government.

**FORM-A**  
**[see rule 3 (1)]**  
**Declaration Letter**

To,

The District Magistrate,  
District.....  
Madhya Pradesh

Sir,

I,.....S/o/D/o                      Shri.....resident  
of.....am desirous to perform necessary rituals for  
conversion from.....to.....religion with my free  
consent and without any force coercion, undue influence or allurement  
and hereby give notice of religious conversion as required under sub-  
section (1) of section 10 of the Madhya Pradesh Freedom of Religious Act,  
2021.

1. Name of the person to be converted.....
2. (a) Name of father of the person to be converted .....
- (b) Name of mother of the person to be converted.....
3. The address of the person to be converted.....House  
    No. ....Ward.No. ....Mohalla.....Village.....Tehsil.....District...
4. Age.....(Date of birth).....
5. Sex.....

6. If the person is a minor, then the name of the guardian (if any) and full address.....
7. Whether he/she belongs to Scheduled Castes/Scheduled Tribes, if yes, give details of such caste.....
8. Complete details alongwith the name of the place, where the conversion rituals are to be intended as H. No. .... Ward No. ....Mohalla.....Village.....District.....
9. Date of conversion.....
10. Name of the religious priest/father.....
  - (1) Qualification and experience.
  - (2) Address.....

#### **VERIFICATION**

I, hereby, declare that the information given above is true to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed.

Signature

Date.....

Place.....

**FORM-B**  
**[see rule 3 (2)]**

**NOTICE**

Notice by religious priest in respect of intended conversion from one religion to another.

To,

The collector,  
District..... ,  
Madhya Pradesh

Sir,

I,.....son/daughter of .....resident of ..... , hereby, submit notice of intended conversion from .....religion to .....as required by sub-section (2) of section 10 of the Madhya Pradesh Freedom of Religion Act, 2021 which is as follows:-

Total number of persons whose religion are to be converted, –

Adult.....Minor.....

1. Name of the person whose religion is to be converted.....
2. (a) Name of father of the person being converted.....  
(b) Name of mother of the person being converted.....
3. Address of the person being converted .....  
House No. ....Ward No. .... Mohalla.....  
Village.....district.....
4. Age.....(Date of Birth)
5. Sex.....

6. Whether he/she belongs to scheduled castes/scheduled Tribes/if so give details thereof.....
7. Name of the place with full details where the conversion rituals are to be intended as H.No. ....Ward No.....Mohalla.....Village..... district.....
8. Date of religion conversation.....
9. Name of the religious Priest.....S/o.....
  - (i) Qualification and experience.....
  - (ii) Address:- .....

#### Verification

I,..... hereby declare that the above mentioned notice is true to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed.

Signature.....

Date.....

Place.....

**FORM-C**  
**[see rule 4]**

A declaration regarding religious conversion from the .....religion to.....religion has been received on..... under sub-section (1) of section 10 of the Madhya Pradesh Freedom of Religion Act, 2021 from Shri.....S/o/ D/o.....resident of .....

Date

.....

District Magistrate

**FORM-D**  
**[see rule 4]**

A notice under sub-section (2) of section 10 of the Madhya Pradesh Freedom of Religion Act, 2021 has been received from the religious saint Shri..... regarding religion conversion of Shri.....S/o/ D/o..... resident of .....from .....to.....religion.

Date

.....

District Magistrate

**FORM-E**  
**(see rule 5)**

Report for the month of.....

1.	Number of declaration received under sub-section (1) of section 10 during the month of		.....
2.	Number of notices received under sub-section (2) of section 10 during the month of		.....
3.	Number of the prosecutions instituted under the Act, if any		.....
4.	Number of prosecution sanctions issued under the Act		.....
5.	Number of marriages declared infructuous or void under the Act		.....
6.	Number of institutions/organizations who violated section 11 of the Act		.....
7.	Number of acquittal and conviction under the Act during the month		.....

By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAJESH RAJORA, Addl. Chief Secy.